

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज - II : करोल बाग नई दिल्ली -110005

इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट

www.delhijalboard.nic.in

कमांक: दि0ज0बो0/प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)/अपील न0 1348/2015/ दि: 25.06.2015

श्रीमती सुनीता,
दु0न0 54, द्वितीय तल,
ओल्ड राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली-110060.

उप निदेशक (राजस्व) प0/द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती सुनीता, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 15.05.2015 (आई0डी0न0: 8492) का निपटान किया गया।

दिनांक 25.06.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्रीमती सुनीता उपस्थित नहीं हुई एवं श्री सतपाल डींगरा, मुख्य लिपिक, द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-II, राजेन्द्र नगर जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 08.01.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 09.04.2015 को दायर की। अपील की सुनवाई की तिथि के पश्चात् क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी ने अपीलकर्ता को जवाब भेजा। अपीलकर्ता श्रीमती सुनीता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थीं जिससे कि वे बता सकें कि वे किस सवाल के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हैं। जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में आर0टी0आई0 नियमों के अन्तर्गत आने वाले आवेदन पत्रों को साधारण तौर पर न लिया जाए और हर आवेदन पत्र की सही रूप से जांच करके निर्धारित समय सीमा के अनुसार तीस दिन के अन्दर उपलब्ध जानकारी हर हाल में दी जाए।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-



Handwritten signature in blue ink.

